

भारत और शरणार्थी नीति

प्रलिस के लयः

भारत में शरणार्थी, वर्ष 1951 का शरणार्थी सममेलन, वदशी अधनलयम, 1946, नागरकलता संशोधन अधनलयम, 2019 (CAA), रोहगलया शरणार्थी, शरणार्थलयों के लयल संयुक्त राष्ट्र उच्चलयुकुत

मेन्स के लयः

भारत में शरणार्थलयों की स्थलतल, शरणार्थलयों से संबंधतल भारत में वर्तमलन वधलयी ढाँचा, भारत में शरणार्थलयों दवलरा सामना की जाने वाली चुनौतलयों

चरचा में कलयों?

हलल ही में बांग्लादेश में चटगाँव के पहाड़ी पथ कषेत्र से कई कुकी-चनल शरणार्थी बांग्लादेश सुरक्षा बलों के हमले के डर से मज़ोरम में प्रवेश कर गए ।

- मज़ोरम सरकार ने चनल-कुकी-मज़ोरम समुदलयों से संबंधतल शरणार्थलयों के प्रतल सहलनुभूत वलयकुकुत की है और राज्य सरकार की सुवधल के अनुसलर असुथलयी आशुरय, भोजन और अनय रहत देने का संकलप लयल ।

शरणार्थलयों की घुसपैठ का कारण?

- चटगाँव का पहाड़ी पथ कषेत्र एक कम उपजाऊ पहाड़ी, वन कषेत्र है जो दकुषणल-पूरवी बांग्लादेश के खलगाङ्गाछड़ी, रंगमती और बंदरबन ज़लयों के 13,000 वर्ग कमी. से अधकल में फैला हुआ है, जो पूरव में मज़ोरम, उत्तर में तरपुरल और दकुषणल तथा दकुषणल-पूरव में मयॉमार की सीमा से लगा हुआ है ।
- आबलदी का एक बड़ा हसलसा आदवलसी है और सांसुकृतकल और जलतीय रूप से बहुसंख्यक मुसलमल बांग्लादेशलयों से अलग है जो देश के डेल्टल मुख्य भूमल में रहते हैं ।
- CHT की जनजलतीय आबलदी का भारत के नकलटवर्ती कषेत्रों में मुख्य रूप से मज़ोरम में जनजलतीय आबलदी के साथ जलतीय संबंध है ।
- मज़ोरम बांग्लादेश के साथ 318 कलयोमीटर लंबी सीमा साझा करता है ।
- मज़ोरम पहले से ही लगभग 30,000 शरणार्थलयों का आशुरयदलता है जो जुलाई-अगसुत 2021 के बाद से ही मयॉमार के चनल राज्य में हो रहे लड़ाई से भलगे फरल रहे हैं ।

भारत में शरणार्थलयों की रकुषा कैसे की जलती है?

- भारत यह सुनशलचितल करता है कल शरणार्थी साथी भारतीय ललगों के समलन सुरक्षा सेवलओं तक पहुँच प्रलप्त कर सकें ।
- सरकार दवलरा सीधे पंजीकृत शुरलंका के शरणार्थलयों के लयल आरुथकल और वतलतीय समलवेशन को सकषम करने के लयल आधलर कार्ड और पैन कार्ड की भी सुवधल दी गई है ।
 - उनहें राष्टुरीय कल्यलण योजनलओं का भी ललभ मलल सकुता है और वे भारतीय अरुथवलयवसुथा में प्रभलवी ढंग से यलगदलन कर सकुते हैं ।
- हललँकल UNHCR के साथ पंजीकृत ललगों के लयल जैसे कल अफगलनसुतलन, मयॉमार और अनय देशों के शरणार्थी, जबकल उनके पास सुरक्षा एवं सीमलतल सहलयता सेवलओं तक पहुँच है, उनके पास सरकार दवलरा जलरी दसुतलवेज़ नही है ।
 - इस प्रकार, वे बैंक खलते खोलने में असमरुथ हैं और सभी सरकलरी कल्यलणकलरी योजनलओं से ललभ प्रलप्त नही करते हैं और इस प्रकार अनजलने में पीछे रह जलते हैं ।

भारत की शरणार्थी नीतल

- भारत में शरणार्थलयों की समसुया के समलधलन के लयल वशलषलट कलनून का अभलव है, इसके बलवजूद उनकी संख्यल में ललगलतर वृद्धलहुई है ।
- इसके वर्ष 1951 के शरणार्थी सममेलन और वर्ष 1967 के प्रोटोकल के पकुष में नही होने के बलवजूद भारत में शरणार्थलयों की बहुल बड़ी संख्यल नवलस करती है ।

- हालाँकि शरणार्थी संरक्षण के मुद्दे पर भारत का शानदार रिकॉर्ड रहा है। भारत में वदेशी लोगों और संस्कृतियों को आत्मसात करने की एक नैतिक परंपरा है।
- **वदेशी अधिनियम, 1946 शरणार्थियों से संबंधित समस्याओं का समाधान करने में विफल रहता है।**
 - यह केंद्र सरकार को किसी भी वदेशी नागरिक को नरिवासति करने के लिये अपार शक्ति भी देता है।
- इसके अलावा भारत का संविधान मनुष्यों के जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा का भी सम्मान करता है।
 - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाम स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश (1996) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "सभी अधिकार नागरिकों के लिये उपलब्ध हैं, जबकि वदेशी नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार और जीवन का अधिकार उपलब्ध है।"
- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद- 21 में शरणार्थियों को उनके मूल देश में वापस नहीं भेजे जाने यानी 'नॉन-रिफाउलमेंट' (Non-Refoulement)** का अधिकार शामिल है।
 - नॉन-रिफाउलमेंट, अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत एक सिद्धांत है, जिसके अनुसार अपने देश से उत्पीड़न के कारण भागने वाले व्यक्तियों को उसी देश में वापस जाने के लिये मजबूर नहीं किया जाना चाहिये।

भारत में शरणार्थियों की स्थिति:

- स्वतंत्रता के बाद से भारत ने पड़ोसी देशों के शरणार्थियों के विभिन्न समूहों को स्वीकार किया है, जिनमें शामिल हैं:
 - 1947 के **विभाजन से पाकिस्तान से शरणार्थी।**
 - **वर्ष 1959 में तबिबती शरणार्थी।**
 - वर्ष 1960 के दशक की शुरुआत वर्तमान बांग्लादेश से **चक्रमा और हाजोंग**
 - वर्ष 1965 और 1971 में अन्य बांग्लादेशी शरणार्थी।
 - वर्ष 1980 के दशक में **श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी।**
 - हाल ही में म्यांमार के **रोहिंगिया शरणार्थी, 2022।**

भारत में अभी तक शरणार्थियों पर कानून नहीं:

- **शरणार्थी बनाम अप्रवासी:** हाल के दिनों में पड़ोसी देशों के कई लोग अवैध रूप से भारत में प्रवास करते रहे हैं और उत्पीड़न के कारण नहीं बल्कि भारत में बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में करते हैं।
 - जबकि वास्तविकता यह है कि देश में अधिकांश बहस अवैध प्रवासियों के बारे में है, शरणार्थियों के बारे में नहीं, तथा दोनों एक साथ जुड़ जाती हैं।
- **वकिलों का खुला दायरा:** कानून की अनुपस्थिति ने भारत को शरणार्थियों के सवाल पर अपने वकिलों खुले रखने की अनुमति दी है। सरकार शरणार्थियों के किसी भी समूह को अवैध अप्रवासी घोषित कर सकती है।
 - यह वह मामला था जो **रोहिंगिया** के साथ हुआ है (वे राज्यवर्हिण, इंडो-आर्यन जातीय समूह हैं जो म्यांमार के रखाइन राज्य में रहते हैं), UNHCR सत्यापन के बावजूद, सरकार ने उन्हें वदेशी अधिनियम या भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के तहत सरकार ने उनसे अत्याचारियों के रूप में नपिटने का फैसला किया है।

शरणार्थियों को संभालने के लिये वर्तमान विधायी ढाँचा:

- **वदेशी अधिनियम 1946:** धारा 3 के तहत, केंद्र सरकार को अवैध वदेशी नागरिकों का पता लगाने, हरिसत में लेने और नरिवासति करने का अधिकार है।
- **पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920:** धारा 5 के तहत, अधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 258 (1) के तहत बलपूर्वक एक अवैध वदेशी को हटा सकते हैं।
- **1939 का वदेशी नागरिक पंजीकरण अधिनियम:** इसके तहत, एक अनिवार्य आवश्यकता है जिसके तहत दीर्घकालिक वीजा (180 दिनों से अधिक) पर भारत आने वाले सभी वदेशी नागरिकों (भारत के वदेशी नागरिकों को छोड़कर) को भारत आने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण अधिकारी के साथ खुद को पंजीकृत करना आवश्यक है।
- **नागरिकता अधिनियम, 1955:** इसने त्याग, समाप्ति और नागरिकता से वंचित करने के प्रावधान प्रदान किए।
- इसके अलावा, **नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA)** केवल बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सताए गए हिंदू, ईसाई, जैन, पारसी, सिख और बौद्ध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना चाहता है।

शरणार्थियों और प्रवासियों के बीच अंतर

- शरणार्थी (Refugees) अपने मूल देश से बाहर रहने को विवश ऐसे लोग हैं जो अपने मूल देश में उत्पीड़न, सशस्त्र संघर्ष, हिंसा या गंभीर सार्वजनिक अव्यवस्था के परिणामस्वरूप जीवन, शारीरिक अखंडता या स्वतंत्रता पर गंभीर खतरों का सामना करते हैं और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता महसूस करते हैं।
 - **प्रवासी (Migrants)** वे लोग होते हैं जो कार्य या अध्ययन करने के लिये अथवा वदेशों में रह रहे अपने परिवार से जुड़ने के लिये अपना मूल देश छोड़ देते हैं।
- किसी व्यक्ति के 'शरणार्थी' के रूप में चिह्नित होने के लिये सुपरभाषित और विशिष्ट आधार सुनिश्चित किये गए हैं जिनकी पुष्टि करनी होती है।
 - प्रवासी की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत कोई कानूनी परिभाषा नहीं है।

आगे की राह

- शरण और शरणार्थियों पर मॉडल कानून जो दशकों पहले [राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग \(NHRC\)](#) द्वारा तैयार किये गए थे लेकिन सरकार द्वारा लागू नहीं किये गए थे, उन्हें एक विशेषज्ञ समिति द्वारा संशोधित किया जा सकता है।
 - यदि इस तरह के कानून बनाए जाते हैं तो यह मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कानूनी पवित्रता और एकरूपता प्रदान करेगा।
- यदि भारत में शरणार्थियों के संबंध में घरेलू कानून होता तो यह पड़ोस में किसी भी दमनकारी सरकार को उनकी आबादी को सताने और उन्हें भारत की तरफ भागने से रोक सकता था।
- हमारे संविधान में नहिती [मौलिकी करतव्य](#) के अनुरूप अधिकारियों या स्थानीय नवासियों द्वारा हिसा और उत्पीड़न से महिलाओं तथा बाल शरणार्थियों की सुरक्षा।
 - अनुच्छेद 51A (e) प्रत्येक नागरिक को महिलाओं की गरमा के लिये अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करने का आदेश देता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. नमिनलखिति युगमों पर वचिार कीजयि: (2016)

समाचारों में कभी-कभी उल्लिखित समुदाय	कसिके मामले में
1. कुरद	बांग्लादेश
2. मधेसी	नेपाल
3. रोहगिया	म्याँमार

उपर्युक्त युगमों में से कौन-सा/से सही सुमेलति है/हैं:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (c)

प्रश्न. भारत की सुरक्षा को गैर-कानूनी सीमापार प्रवसन कसि प्रकार एक खतरा प्रस्तुत करता है? इसे बढ़ावा देने के कारणों को उजागर करते हुए ऐसे प्रवसन को रोकने की रणनीतियों का वर्णन कीजयि। (मेन्स-2014)

[स्रोत: द हिंदू](#)